

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (गस्ट ट्रेक)  
जोधपुर

हुक्म  
177


हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज  
शिवराम 2/5 देवकराम  
2/2 12/11/18  
2/2/18

नम्बर व तारीख  
अहकाम जी इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए।

18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके  
द्वार-2018 केम्प कोर्ट प्रस्तुत हुई। हस्तगत  
अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 2/2/18  
को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय द्वारा आज दिनांक  
तक किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की  
गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि  
प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने हेतु कोई  
निवेदन भी नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा का एक त्वरित  
उपचार है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि  
विगत 07 वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उन्होंने  
किसी प्रकार का इसे प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया है। विधि  
अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र का निस्तारण छः माह  
के भीतर किया जाना भी आवश्यक है। जिससे यह जाहिर होता  
है कि प्रार्थीगण को वर्तमान में शीघ्र उपचार की कोई  
आवश्यकता नहीं रही हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत  
यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को भविष्य में  
आवश्यकता होने पर विधि अनुसार पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का  
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली फौसल शुमार होकर  
दफ्तर दाखिल हो।

12

  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (गस्ट ट्रेक)  
जोधपुर